



उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-495/2026/263/22-2-2025-17(297)/2020
लखनऊ: दिनांक: 14 मई, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2, 1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरुद्ध सिद्धदोष बंदी बृज मोहन (बन्दी संख्या-12228) पुत्र श्री सकटे, निवासी-बदरेपुर मजरा बहोरिकपुर, थाना-जहानगंज, जनपद-फर्रुखाबाद, जिसे सत्र परीक्षण संख्या-253/1999 में भा0द0वि0 की धारा-376 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद के आदेश दिनांक 25.04.2000 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 10.05.2007 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 17.02.2024 तक अपरिहार 24 वर्ष 11 माह 20 दिन तथा सपरिहार 32 वर्ष 07 माह 14 दिन की भोगी गयी सजा एवं संतोषजनक जेल आचरण को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-495/2026/263(1)/22-2-2025 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रुखाबाद।
- 3- पुलिस अधीक्षक, फर्रुखाबाद।
- 4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
- 5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रांट ऑफ बेल मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
- 6- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
- 7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
- 8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।